

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 34/2015

| अपीलान्त | बनाम | रेस्पोडेन्ट :- |
|--|------|---|
| जवानाराम पुत्र जीवाराम जाति माली निवासी नोवी महादेवा तहसील सुमेरपुर | | सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर |

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:- 26.2.18

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2007 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम नोवी महादेवा के पुराने खसरा नम्बर 480, जिसके नये खसरा नम्बर 708 रकबा 0.50 हैक्टेयर की भूमि की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिसका आधार यह था कि गत खसरा नम्बर 480 की भूमि पर अपीलाण्ट का काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का कब्जा काश्त था, जो खसरा परिवर्तनशील आदि दस्तावेजात् से साबित होता है। उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से चिपते हुए ही आई हुई स्थित है, जिस पर अपीलाण्ट का बिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार का जवाब लिये बिना ही राजस्व लोक अदालत में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरुद्ध है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी निवेदन किया कि गत खसरा नम्बर 480 की किस्म बंजड थी, जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आदेश के परिवर्तन कर गोचर दर्ज कर दी है, जो विधि विरुद्ध है, क्योंकि भू प्रबन्ध विभाग को किस्म परिवर्तन की शक्तियां प्रदत्त नहीं है। सेटलमेन्ट से पूर्व तहसीलदार द्वारा जो नोटिस अपीलाण्ट के नाम जारी किये गये, उसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की किस्म बंजड ही दर्ज है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट द्वारा मेहनत से कृषि योग्य

बनाया है, जिसकी खातेदारी अधिकार प्रदान न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के हक हकूकों पर कुठाराघात किया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए वादस्थ भूमि का अपीलान्ट को खातेदार घोषित करावें तथा रेस्पोंडेन्ट को अपीलान्ट के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलान्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरुद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा मौजा नोवी महादेवा के खसरा नम्बर 708 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा अपने कथनों के समर्थन में जमाबन्दी की प्रति, खसरा गिरदावरी की प्रतियां, नक्शा ट्रेस की प्रति, धारा 91 के तहत जारी नोटिस एवं उसमें पारित आदेश, अपीलीय आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की। प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली शहादत वादी में नियत की जाकर वादी पक्ष में गवाहों के बयान कलमबद्ध किये गये। इसके अतिरिक्त वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा गिरदावरी की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा




राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2007 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली